न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस)

अपील संख्या 6/2021

निर्णय दिनांक :– 11.05.2022

लादी देवी पुत्री स्व0 नारायण पत्नी रामेश्वर उम्र 59 वर्ष जाति बैरवा निवासी भानपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज0 हाल निवासी ग्राम दानी की ढांणी, निवासी तामडिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

–अपीलान्ट

बनाम

1. किशना पुत्र हरनाथ तथाकथित दत्तक पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम भानपुरा तहसील फागी, जिला जयपुर राज0
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर राज0

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थित अधिवक्ता

हनुमान सिंहागं अपीलार्थी के अधिवक्ता

बनवारी लाल शंमा गैर अपीलर्थी के अधिवक्ता

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय तहसीलदार फागी दिनांक 30.01.1992 नामांतकरण संख्या 353

निर्णय

अपीलान्ट की और से हनुमान सिंहाग एडवोकेट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय तहसीलदार फागी दिनांक 30.01.1992 पेश की गई । जिसका संक्षेप सार निम्नुसार है।

1 यह कि अपीलांट मृतक स्व0 नारायण पुत्र रामनाथ जाति बैरवा, निवासी ग्राम भानपुरा की मृत्यु पर उसकी एक मात्र वारिस उसकी पत्नी श्रीमती ग्यारसी देवी एंव उसकी जाईन्दा पुत्री अपीलान्ट लादी देवी है। अपीलान्ट कीह पैतृक सम्पत्ति वाके ग्राम भानपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज0 में स्थित खाता संख्या 173 के खसरा संख्या 98 कुल किता 1 कुल रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा में अपीलान्ट के पिता का 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 174 के खसरा संख्या 98/325 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में हिस्सा 1/4 तथा खाता संख्या 175 के खसरा संख्या 37 रकबा 13 बिस्वा खसरा संख्या 39 रकबा 7 बिस्वा , खसरा संख्या 95/316 रकबा 5 बीघा 1 विस्वा, खसरा संख्या 98/322 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 98/323 रकबा 7 बिस्वा खसरा संख्या 98/324 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा , खसरा संख्या 99 रकबा 12 बिस्वा खसरा संख्या 101 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 102 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा संख्या 103 रबा 19 बिस्वा खसरा संख्या 105 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा में हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड था। जिसका नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विधि विरूद्व तरीके से अपने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

आपको नारायण पुत्र रामनाथ का दत्तक पुत्र बताते हुऐ खुलवा लिया। जबकि अपीलान्ट के पिता ने अपने जीवनकाल में किसी व्यक्ति को गोद नही लिया , ना ही कोई दत्तक ग्रहण किया फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेवेन्यु अधिकारियों के साज बाज करके अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया। जबकि स्वंय नारायण की एक मात्र जाइन्दा पुत्री अपीलान्ट है। उक्त नामान्तकरण को जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब उसने अपनी माता की मृत्यु दिनांक 25.5.2015 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा प्रमाण पत्र बनवाकर पटवारी हल्का से अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने के लिए मिली तो पटवारी से मिलकर जानकारी की तो पता चला कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा पूर्व से ही अपने नाम लगवा रखा है। अपीलान्ट की माता के नाम आधा हिस्सा है एवं आधा हिस्से का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आपको नारायण का दत्तक पुत्र बनवाते हुऐ खुलवा लिया है। उक्त नामान्तकरण के संम्पूर्ण रिकार्ड की नकले दिनांक 16.07.2015 को निकलवाने पर अपीलान्ट का उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील अपीलान्ट श्रीमान न्यायायल के समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

1.यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्य के विपरित होने से निरस्तनीय है।

2 यह कि अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सहज सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

3.यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वारिसों की जॉच किये बिना ही मनमाने व विधि विरूद्व तरीके से अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने में अहम कानूनी भूल की है। चूकिं उक्त नामान्तकरण विरासत का नामान्तकरण था। जिसका ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाना आवश्यक था। परन्तु रेस्पोडन्ट संख्या 1 उक्त नामान्तकरण साज बाज तरीके से खुलवाया है। उक्त नामान्तकरण संख्या 353 जो कि अपीलानट के पिता के नाम खातेदारी में था। उसको बाद में दिनांक 30.11.1991 को भरवाकर पंचायत मे तस्दीक नही करवाकर 30.01.1992 को राजस्व अभियान के केम्प मेहन्दवास में खुलवाया है। जो कि अपीलान्ट की पंचायत नही होकर दूसरी पंचायत है ताकि उक्त नामान्तकरण का किसी को पता नही चल सकें। इसलिए उक्त नामान्तकरण को पंचायत के कोरम में प्रस्तुत नही कर तहसीलदार फागी से खुलवाया है इसलिए उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

4 यह कि अपीलाधीन आदेश को ग्राम पंचायत के समक्ष कभी प्रस्तुत नही किया। क्योकि उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत की कोरम प्रस्तुत किया जाता है तो सरपंच को मृतक वारिसों की जानकारी स्वय को रहती है या वह सम्बधित वार्ड पंच से भी उक्त पुस्त वंशावली को तस्दीक करवा सकता है।इसलिए अपीलान्ट को हितो से महरूम करने की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

नियत से उक्त नामान्तकरण गैरकानूनी तरीके से राजस्व अभियानों में स्वीकृत कराये जाने से भी काबिले निरस्त योग्य है।

5 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो मृतक के वारिसो की जौच की है ना ही नारायण के फौत होने के उपरान्त उसके वारिसों की जॉच नही कर मात्र इस आधार पर नामान्तकरण तस्दीक कर दिया कि उक्त खाता भूल से रह जाने के कारण नामान्तकरण तस्दीक नही किया जा सका। जबकि उक्त खाता भूल से नही रहा बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नारायण का वारिस ही नही है तो उनकी सम्पूर्ण आराजीयात की जानकारी नही होने की वजह से उक्त नामान्तकरण खुलने रह गया था। उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर विधि विरूद्व तरीके से उक्त नामान्तकरण खोला गया है। जिसको खारिज किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है तथा ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया है। इसलिए भी उक्त निर्णय काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

6.यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर कतई गौर नही किया कि मृतक के वारिसों के उसके विधवा के अलावा उसकी पुत्री की भी थी फिर भी मनमाने तरीके से बिना जांच किये बिना ही रेस्पोडेन्ट को दस्तक पुत्र मानकर निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

7यह कि मतृक नारायण ने अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कभी गोद नही लिया एव ंना कभी किसी प्रकार से कोई दस्तावेज गोदनामा/दत्तकनामा उसके हक में निष्पादित किया फिर भी रेस्पोडेन्ट अपने आपको गोद पुत्र बताते हुऐ अपीलान्ट की पैतृक भूमि को अपने नाम करवा लिया जिसका उसको कोई कानूनी अधिकार नही था।इसलिए उक्त अपीलाधीन आदेश काबिले निरस्तनीय योग्य है।

8. यह अधीनस्थ न्यायालय ने वर्णित सम्पति अपीलान्ट के पिता स्वं0 नारायण की सम्पति होने एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार नारायण की मृत्यु उपरान्त उसकी प्रथम श्रेणी की वारिस अपीलान्ट की माता स्वं0 श्रीमती ग्यारसी देवी एवं अपीलानट थी। चूकिं अपीलान्ट की माता का भी देहान्त हो चुका है इसलिए अपीलान्ट ही स्वं0 नारायण की जायज पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस है एंव नारायण की एक मात्र उत्तराधिकारी है। इसलिए उक्त आराजी में अपना हक व हिस्सा नियत है। इसलिए उक्त अपील आदेश निरस्त योग्य हैं।

9 यह कि अपीलाधीन ओदेश गैर कानूनी तरीके से मात्र मौखिक आधार पर स्वीकृत किये जाने के कारण एक शून्य आदेश है जिसको निरस्त किया जाना कानूनन न्यायहित मे अति आवश्यक है।

10 यह कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को अपनी माता स्वं0 श्रीमती ग्यारसीदेवी का निधन हाने पर अपने नामान्तकरण खुलवाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह बनवाकर पटवारी हन्का के सम्पर्क करने पर एवं उक्त नामान्तकरण की पकल दिनांक 16.07.2015 को प्राप्त होने पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1

जिला कलक्टर

ने फर्जी तरीके से नामान्तकरण खुलवा लिया। इसके बाद रूपये पैसे का इंतजाम कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। जिसके के लिए अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.01.1992 नामान्तकरण संख्या 353 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के हक मे नामान्तकरण स्वीकृत किया जावे।

रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की और से जवाब पेश किया गया।

1 यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 जिस प्रकार सें वर्णित किया गया है। वह स्वीकार नही है।

2 यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 जिस प्रकार से वर्णित किया है व कतई स्वीकार नही है। बल्कि सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि नारायण पुत्र रामनाथ ने उत्तरदाता को अपने जीवनकाल में ही बाल्य अवस्था में गोद लेकर बतौर दत्तक पुत्र ग्रहण कर लिया था और उत्तरदाता ने अपने दत्तक पिता की सेवा सुश्रुषा की है। प्रार्थीया का यह कथन आराजी जैर कृर्षि भूमि प्रार्थीया की पैतृक भूमि रही है। सही नही है। बल्कि सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि स्वं0 श्री नारायण के कोई पुत्री नही थी। क्योकि नारायण की बेवा ग्यारसी देवी ने नामान्तकरण संख्या 279 दिनांक 11.01.1983 को नामान्तकरण की पुश्त पर स्वंय का अंगूठा निशानी दर्ज की है।जिस पर हन्का पटवारी की स्पष्ट रिपोर्ट है कि नारायण फौत हो गया है।इसकी औरत ग्यारसी देवी ने जाहिर किया कि मेरे एक गोद का लडका किशना है। अतः मेरे और लडके के नाम नामान्तकरण खोला जावे। एक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्यारसीदेवी ने भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से नामान्तकरण की पुस्त परा अपनी अंगूठा निशानी दर्ज क तथ्य अंकित किये है कि ग्यारसी देवी व नारायण के एक मात्र दत्तक पुत्र किशना ही है और इसी कारण्रा से पटवारी हन्का की रिपोर्ट एवं गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर नारायण पुत्र रामनाथ की फौतगी पर उसके विधिक वारिसान मु0ग्यारसीदेवी बेवा नारायण वच किशना दतकपुत्र नारायण के नाम खाता खोला गया। प्रार्थीया ने बराय बदनियती से उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है। और विधि विरूद्ध तरीके से अपने आपको नारायण की पुत्री बताते हुऐ उक्त अपील एवं स्थगन आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त नामान्तकरण वर्ष 1983में मजमे आम मे खोला गया था । जिसकी जानकारी उत्तरदाता की माता ग्यारसीदेवी को बखूबी रही है। अगर अपीलान्ट नारायण की पुत्री होती तो किसी न किसी रूप से उसे उक्त तथ्य की जानकारी अवश्य ही होती । क्योकि लादीदेवी स्वंय अपनी उम्र 59 वर्ष अंकित है। लादी देवी दानी की ढाणी तामडिया तहसील चाकसू जिला जयपुर में रहती है। और एक्त पता अपीलान्ट को यह तथ्य कतई स्वीकारोति योग्य नही है कि अपीलान्ट स्वं0 श्री नारायण की पुत्री है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही पोषणीय नही होने के कारण काबिले खारिज योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

3 यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है। वह स्वीकार नही है। बल्कि सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि मृतक नारायण पुत्र रामनाथ का उत्तरदाता गोद पुत्र है और जिस बाबत वर्ष 2014 की निर्वाचन नामावली के कम संख्या 189 पर उत्तदाता किशना पुत्र नारायण का नाम अंकित है तथा परिवार राशन कार्ड 00205 में भी किशनलाल बैरवा पुत्र नारायण का नाम अंकित है तथा ग्राम पंचायत डीडावता द्वारा वर्ष 2006 से 2010 का परिवार राशनकार्ड जारी किया गया जिसमें किशनलाल बैरवा पुत्र नारायण बैरवा नाम अंकित है तथा भूमि की जोत की विशिष्टियां हेतु जारी पासबुक राजस्व बंदोबस्त की काल अवधि संवत 2011 से 2030 मे भी किशना पि0मु0 नारायण दर्ज एवं अकित है। तथा परिवार राशन कार्ड संख्या 228 में भी किशनलाल पुत्र नारायण दर्ज व अंकित है तथा जयपुर विघुत वितरण निगम लि0 जारी द्वारा विघुत बिल खाता संख्या 16040854 पर किशनलाल पुत्र नारायण नाम दर्ज एवं अंकित है। उक्त समस्त दस्तावेजो पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक जांच क रनाम अंकित किये गये है इन तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तरदाता स्वं0 श्री नारायण का दत्तक पुत्र है तो उत्तरदाता के नाम खुंले नामान्तकरण में कोई कानूनी अवैधता नही है। प्रार्थी द्वारा अपने आप में नारायण की पुत्री होना बताकर जो दस्तावेज पंचायत द्वारा जारी कुर्सीनामा प्रस्तुत किया गया है। वह कतई सही नही है। क्योकि उक्त पंचायत द्वारा न तो उक्त कुर्सीनामा जारी करते समय उत्तरदाता को कोई सूचना दी और न ही कौरम मे उक्त कुर्सीनामा जारी किया गया। महज वर्तमान संरपच को अपने प्रभाव मे लेकर अपीलान्ट व उसके साथ लगे भू माफिया लोगो द्वारा उक्त दस्तावेज अब तैयार किया गया है जिसकी कोई कानूनी महत्वता नही है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दूसरा दस्तावेज परिवार के मुखिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र है। जिस पर ना तो सरपंच की रिपोर्ट पूर्ण रूप से अंकित है ना ही विकास अधिकारी की रिपोर्ट पूण रूप से अंकित है। अर्थात उक्त दस्तावेज अपने आप मे ही अपूर्ण है। जिसके आधार पर अपीलान्ट नारायण की कतई कोई वारिस साबित नही होती है। इसलिऐ अपीलान्ट का यह तथ्य अंकित करना कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नारायण की वारिस है कतई स्वीकार योग्य नही है।

4 यह कि प्रार्थना पत्र का मद संख्या 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है कतई स्वीकार नही है। उत्तरदाता को अपने हिस्से की भूमि का पूर्ण रू से उपयोग व उपभोग करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। तथा जवाब के अतिरिक्त कथन मे रेस्पोडेन्ट ने कहा की अपीलान्ट के समक्ष भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत की है तथा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार से अधिनियम का अंकन नही किया गया है। सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 81 के तहत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें कियान्विति स्थगित करने की अधिकारिता मात्र होती है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का अनुतोष चाहा गया है भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

अपील मे प्रदत नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन कानून चलने योग्य नही होने के कारण काबिले खारिज योग्य है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज की जाने की प्रार्थना की गयी हैं।

हमनें विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना। तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को हम स्वीकार करना उचित समझते है। अतः आदेश है कि नामान्तकरण 353 निर्णय दिनांक 30.01.1992 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार फागी नामान्तकरण दिनांक 30.01.1992 से पूर्व की स्थिति बहाल करे। पत्रावली तहसीलदार फागी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है। उभय पक्षों को पुनः सुना जाकर गुणावगुण आधार पर पत्रावली का निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दखिल दफ्तर हो।

राजेन्द्रसिंह शेखावत
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एंव
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट दूद
जिला जयपुर राज0